निर्णय व इजलास सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–43/2020
दायरा दिनांक :–30.07.2020
निर्णय दिनांक :– 11.7.24

उनवान

रामस्वरुप पुत्र किशनलाल जाति ढोली निवासी रटावद तहसील बारां जिला बारां
–वादीगण

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र रामलाल
2. प्रेमचन्द पुत्र रामदयाल
3. शिवराज पुत्र रामदयाल
4. फुला बाई पत्नि स्व. रामदयाल जाति मीणा निवासी रटावद तहसील व जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 11.7.24

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड0– वादी
2. श्री बाबूलाल जैन एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राज0 टी एक्ट विरुद्व अप्रार्थी गण द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां के खाता संख्या नया 245 पुराना 242 की आराजी खसरा न0 174 रुकबा 0.29 हे0 खसरा न0 175 रुकबा 0.33 हे0 कुल 2 किता कुल रुकबा 0.62 हे0 आराजी स्थित है जो विवादित आराजियात है। उपरोक्त विवादित आराजियात के सेटलमेन्ट के पूर्व साबिक खसरा न0 114 रुकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न0 115 रुकबा 2 बीघा 1 बिस्वा था जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के पास स्थित होने के कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के दादा मोतीलाल से वर्ष 1962 में मौखिक इकरार के आधार पर क्रय किया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा एक मकान भी क्रय किया गया था। तब से ही प्रार्थी का उक्त आराजियात पर निरन्तर एवं निर्बाध रुप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के दादा द्वारा उक्त आराजियात का बेचान मौखिक रुप से किया गया था। उनके स्वर्गवास कि पश्चात् उक्त आराजियात का रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थीगण कि पिता बालिग होने पर दिनांक 15.05.1972 को प्रार्थी के पक्ष में किया गया तब से

उपखण्ड अधिकारी
बारां

प्रार्थी लगभग 58 वर्षो से उक्त आराजियात पर काबिज काश्त सतत रुप से चला आ रहा है उक्त आराजियात पर कब्जा निरन्तर रहने से प्रतिकुल कब्जे के आधारप पर प्रार्थी के हक हकुक परिपक्व हो चुके है इस कारण मेरा पक्षकार उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अकंन कराने का अधिकारी है। मौखिक बेचान बाद में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि खरीदने के बाद अप्रार्थीगण के दादा व पिता द्वारा कब्जा प्रार्थी को संभला दिया था। तब से प्रार्थी उक्त आराजियात काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अकंन नही किया गया है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि खरीदने के कारण वादी उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने का अधिकारी है।

अप्रार्थीगण के पिता का देहान्त होने के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा इस जानकारी के बावजुद भी उक्त आराजियात का बेचान उनके दादा द्वारा मौखिक रुप से 1962 के तथा उनके पश्चात् अप्रार्थी गण के पिता द्वारा 1972 मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया जा चुका है। इसके बावजूद भी प्रार्थी गण द्वारा उक्त आराजियात का नामान्तरण संख्या 1135 दिनांक 30.06.2020 को खुलवा लिया जो विधि विरुद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि उक्त आराजियात पर कब्जा प्रार्थी का है तथा अप्रार्थीगण के दादा व पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी बाबत कोई उज्र प्रार्थी के विरुद्व नही किया गया परन्तु अब अप्रार्थी गण के मन में बदनियति आ जाने के कारण विवादित आराजियात का नामान्तरण अपने नाम खुलवाकर उक्त आराजी को खुर्दबुर्द करने पर आमदा है इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवंनालिशी है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजियात का नामान्तरण संख्या 1135 दिनांक 30.06.2020 को गलत रुप से तस्दीक किया गया है। जब कि उक्त आराजियात का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान सन् 1972 में प्रार्थी के पक्ष में किया जा चुका है उक्त नामान्तरण प्रभाव शून्य घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का वाद/ प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन किसी भी प्रकार से संभव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2072–75 खाता 245, नकल नामा0 सं0 1135 दिनांक 30.06.2020 ग्राम रटावद, नकल विक्रय पत्र दिनांक 15.05.72 पेश किया गया अप्रार्थी गण की ओर से नकल आर्डर शीट दिनांक 23.07.2003 है दिनांक 29.03.2004 न्याया उपखण्ड अधिकारी बारां, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां, नकल पाद पत्र रामस्वरुप बनाम रामदयाल नकल नोटिस 80 सीपीसी, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 ग्राम रटावद, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम रटावद सम्वत् 2028–31 नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2056–59, नकल विक्रय पत्र दिनांक 15.05.72 पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद में स्थित है सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक खसरा न0 114, 115 था जो प्रार्थी के खातेदारी में भी थी। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण के दादा मोतीलाल से वर्ष 1962 में मौखिक इकरार के आधार पर क्रय किया था। इसके अतिरिक्त एक मकान भी क्रय किया था। तब से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के दादा का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 15.05.1972 को प्रार्थी के पक्ष में किया गया। लगभग 58 वर्ष से उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम नामा0 में दर्ज नही किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान करने के बावजूद भी अप्रार्थी गण द्वारा उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 1135 दिनांक 30.06.2020 को खुलवा लिया जो विधि विरुद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है अप्रार्थी गण को यह मालूम था। कि विवादित आराजी का बेचान किया जा चुका है। भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का कब्जा भी नही है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उढाना चाहते है तथा भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई। हबस के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन ळै कि विवादित भूमि अप्रार्थी गण के दादा मोतीलाल के वर्ष 1962 में मौखिक करार के आधार पर प्रार्थी को बेचान किया है। ओर दिनांक 15.05.1972 को अप्रार्थीगण के पिता के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से यह भूमि प्रार्थी को बेचान की है। तथा इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हो प्रार्थी इस भूमि को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी नही है। क्योकि प्रार्थी जाति से ढोली है। तथा अप्रार्थीगण जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति का है। तथा ढोली जाति अनुसूचित जनजाति में नही आती है। इस कारण प्रार्थी इस भूमि को अपने नाम खातेदार कृषक दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। दिनांक 15.05.1972 की जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रामदयाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित होना बताया है कि वह धारा 42 का उल्लघंन है ओर ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर मीणा जाति के व्यक्ति की भूमि पर ढोली जाति के व्यक्ति की खातेदारी नही दी जा सकती है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा रामदयाल जो अप्रार्थीगण का पिता है के विरुद्व इसी न्याया– में एक दावा धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट उनवान रामस्वरुप बनाम रामदयाल प्रकरण संख्या 44/03 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 29.03.2004 को इसी न्याया– द्वारा किया था। उस निर्णय में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया है। कि रामदयाल की जाति मीणा है तथा रामस्वरुप की जाति ढोली है मीणा अनुसूचित जनजाति में आती है। एवं ढोली पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है। इस स्थिति में विवादित आराजी का बेचान राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित होने से विधि अनुरुप नही है। उक्त बेचान को मानता नही दी जाती है। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का दावा किया था। जो खादिन हो गया था। प्रार्थी को पूनः उसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1972 को लेकर दावा

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

किया है जो चलने योग्य नही है। नामान्तरण संख्या 1135 दिनांक 30.06.2020 विधि अनुरुप अप्रार्थीगण के पक्ष में खोला गया। जो कानूनन सही है नामा0 गलत खोला गया है तो प्रार्थी द्वारा इसकी कोई अपील नही की गई है प्रार्थी जबरन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता ळै जिसका कोई अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत 2072–75 खाता संख्या 245 में अप्रार्थी गण के शामलाती खाते में दर्ज होना पाया गया। नकल नामान्तरण सं0 1135 दिनांक 30.06.2020 ग्राम रटावद, खातेदार रामदयाल के फोत.होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.1972 के अनुसार रामदयाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा द्वारा रामस्वरुप पुत्र किशनलाल जाति ढोली खसरा न0 115 रुकबा 2.06 बीघा खसरा न0 114 रुकबा 4.07 बीघा भूमि 1000/– में बेचान की गई। विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खातेदारी में थी। क्रय करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इस प्रकार किया गया बेचान राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित होने से विधि अनुरुप नही है प्रार्थी विवादित आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सम्बन्धित पूर्व में भी दावा किया गया जो राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से विधि मान्य नही होने से खारिज किया गया। प्रार्थी द्वाराउ पूनः उसी भूमि को लेकर दावा पेश किया है। जो प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में धारा 11 सी0पी0सी का उल्लेख किया गया है। जो धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। प्रार्थी सम्मन भूमि ओर सम्मन पक्षकारों के विरुद्व दुवारा वाद पत्र नही ला सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही है। अपूरणीय क्षति होने का मामला भी प्रतीत नही होता है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इनलास सुनाया गया।

(पूजा मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां